मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XX अंक 4 जुलाई 2024

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-2
II. फिनटेक	2
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV. डीएसआईएम	3
V. विदेशी मुद्रा	3-4
VI. करेंसी जारीकर्ता	4
VII. सूचकांक	4
VIII. पर्यवेक्षण	4
IX. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2024 माह के दौरान किए गए नए गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. विनियमन

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक

श्री शक्तिकान्त दस, गवर्नर,भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जुलाई 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर संवाद का हिस्सा था। इस बैठक में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। ऐसी पिछली बैठक 14 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी।

गवर्नर ने अपने आरंभिक भाषण में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, ऋण प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में निरंतर सुधार का उल्लेख किया। बैंकिंग क्षेत्र की उच्च आघात-सहनीयता और क्षमता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने बैंकों में अभिशासन मानकों, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों और अनुपालन संस्कृति को और सुदृढ़ करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैंकों को मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करने और तीसरे पक्ष के जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बैंकों से 'म्यूल अकाउंट्स' के विरुद्ध प्रयासों को और बढ़ाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ ग्राहक जागरूकता और शिक्षण पहल को तेज करने का आग्रह किया।

बैठक में ऋण और जमा संवृद्धि के बीच सतत अंतर, चलनिधि संबंधी जोखिम प्रबंधन और एएलएम से संबंधित मुद्दे, असुरक्षित खुदरा ऋण में रुझान, साइबर सुरक्षा, तीसरे पक्ष के जोखिम और डिजिटल धोखाधड़ी, आश्वासन कार्यों को मजबूत करना, एमएसएमई को प्रदत्त ऋण प्रवाह, सीमापारीय लेनदेन के लिए भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना, रिज़र्व बैंक की नवाचार पहलों में बैंकों की सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों का सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था 'साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना'। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे.; श्री अजय भूषण प्रसाद पांडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए); और श्री रंजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशकों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उप गवर्नर श्री राव ने अपने मुख्य भाषण में उभरती चुनौतियों और सांविधिक लेखा परीक्षकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं, विशेष रूप से सिद्धांत-आधारित नियामक व्यवस्था और प्रकटीकरण ढांचे में लेखा परीक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन ने अपने संबोधन में वित्तीय विवरणों की अखंडता सुनिश्चित करने में सांविधिक लेखा परीक्षकों और सीएफओ की महत्वपूर्ण भूमिका को अभिस्वीकृत किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2024 को विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए। ये मास्टर निदेश पूर्व के मास्टर निदेशों, परिपत्रों और उभरते मुद्दों की व्यापक समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये मास्टर निदेश सिद्धांत-आधारित हैं और विनियमित संस्थाओं (आरई)

में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र अभिशासन और निगरानी में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं। इन निदेशों में विनियमित संस्थाओं में मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2024 को नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) के निरस्तीकरण की सूचना दी। आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सीओआर को निरस्त कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2024 को आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के निरस्तीकरण की सूचना दी। आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सीओआर को निरस्त कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

बेसल III पूंजी विनियमन - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (ईसीएआई)

रिज़र्व बैंक ने 10 जुलाई 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों सहित) को बेसल III पूंजी विनियमन के तहत अपने दावों के जोखिम भार के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआरए) का उपयोग करने की अनुमति दी, जोकि विशिष्ट शर्तों के अधीन है। बैंक ऋणों के लिए नई रेटिंग सीआरए से प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते ऋण राशि 250 करोड़ रुपये से अधिक न हो। मौजूदा रेटिंग के लिए, सीआरए किसी भी राशि के ऋण के लिए उनकी शेष अवधि तक रेटिंग निगरानी कर सकता है, लेकिन 250 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए, यह निगरानी अगले सुविधा नवीनीकरण तक सीमित है। मास्टर परिपत्र DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2024-25 के अनुसार बाहरी क्रेडिट रेटिंग के बारे में अन्य सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा– चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जुलाई 2024 को 'चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें' संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई 2024 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पिछले पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) की जगह पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा जारी की, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह नया पीसीए ढांचा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जारी ढांचा के अनुरूप है, जो पर्यवेक्षण में आनुपातिकता और लचीलेपन पर जोर देता है। इसमें एसएएफ की तुलना में कम मानदंड हैं, जो स्थिर पूंजी व्यय सीमा के बिना इकाई-विशिष्ट पर्यवेक्षी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह ढांचा टियर 1 यूसीबी को छोड़कर, जो मौजूदा बढ़ी हुई निगरानी के तहत जारी रहेगा, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में यूसीबी पर लागू होता है। संशोधित दृष्टिकोण का उद्देश्य पर्यवेक्षी संसाधनों का अनुकूलन करके बड़े यूसीबी पर निगरानी बढ़ाना है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

इरादतन चूककर्ता और बृहद चूककर्ता पर कार्रवाई संबंधी मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2024 को इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं से निपटने के संबंध में मास्टर निदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में नामित करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक स्पष्ट और निष्पक्ष प्रक्रिया स्थापित करना है। ये दिशानिर्देश इरादतन चूककर्ता की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने, इरादतन चूक का पता लगाने के लिए खातों की समीक्षा करने और ऐसे इरादतन चूककर्ता के विरुद्ध और अन्य उपाय लागू करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

लाभांश समतुल्यीकरण निधि के निष्पादन संबंधी दिशानिर्देश - प्राथमिक यूसीबी

रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2024 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को विनियामक पूंजी निष्पादन को बढ़ाने के लिए एक बारगी उपाय के रूप में लाभांश समतुल्यकरण निधि (डीईएफ) से शेष राशि को सामान्य या मुक्त आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किए। यह समायोजन मौजूदा नियमों के अनुरूप है जो लाभांश भुगतान को निवल लाभ तक सीमित करता है और संचित लाभ या आरक्षित निधि को इससे बाहर रखता है। सामान्य रिज़र्व में अंतरित शेष राशि टियर-I पूंजी के रूप में योग्य होगी। यूसीबी को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में इन अंतरणों का प्रकटन करना चाहिए और संबंधित सहकारी कानूनों और विनियमों का पालन करना चाहिए। यह निदेश सभी यूसीबी के लिए तुरंत प्रभावी है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. फिनटेक

HaRBInger 2024 – आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ाया जाना

रिज़र्व बैंक ने अपना तीसरा वैश्विक हैकथॉन – 'HaRBInger 2024 – परिवर्तन के लिए नवाचार' लॉन्च किया था, जिसके दो विषय थे 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग अनुकूल होना', जिसकी जानकारी 7 जून 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई थी। प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 जुलाई 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विनियामक सैंडबॉक्स

तटस्थ विषय पर विनियामक सैंडबॉक्स के पांचवें कोहार्ट में रिज़र्व बैंक को बाईस आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पाँच को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएँ अगस्त 2024 से अपने समाधानों का परीक्षण शुरू करेंगी: i) कनेक्टिंगडॉट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ii) एपिफ़ी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड iii) फ़िनैग टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड iv) इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीडीआईसी) प्राइवेट लिमिटेड और v) सिगज़ी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड।

III. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

प्रोजेक्ट नेक्सस

रिज़र्व बैंक 1 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की घरेलू तेज़ भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) की संबद्धता द्वारा तत्काल सीमापारीय खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय पहल है। नेक्सस का उद्देश्य भारत और चार एसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफ़पीएस को जोड़ना है, जिससे कुशल, तेज़ और लागत प्रभावी व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके। बीआईएस और इन संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों ने करार पर 30 जून 2024 को बेसल, स्विट्ज़रलैंड में हस्ताक्षर किए। भविष्य में विस्तार की संभावना के साथ, नेक्सस के 2026 तक लाइव होने की आशा है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

घरेलू धन अंतरण

रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2024 को वर्ष 2011 में स्थापित घरेलू (टिमएीड) णरतंअ नधढांचे की समीक्षा की। मुख्य परिवर्तनों में धन प्रेषणकर्ता बैंक के लिए नकद भुगतान अदायगी सेवाओं के लिए लाभार्थी का नाम और पता दर्ज करने तथा नकद भुगतान प्राप्ति सेवाओं के लिए धन प्रेषक के सेल फ़ोन नंबर और 'आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़' को सत्यापित करने की आवश्यकता शामिल है। इसके अलावा, प्रत्येक विप्रेषक लेनदेन को प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक द्वारा मान्य किया जाएगा और कैंबे लावे नरक णषेप्र नधको आयकर विनियमों का पालन करना होगा और आईएमपीएस/एनईएफ़टी लेनदेन में धन प्रेषक का विवरण और नकद-आधारित विप्रेषण पहचानकर्ता शामिल करना होगा। कार्ड-टू-कार्ड अंतरण अब डीएमटी ढांचे से बाहर होंगे और अलग दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। लेनदेन सीमा सहित अन्य सभी मौजूदा निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। यह परिपत्र संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है और यह 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

गैर-बैंक पीएसओ के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2024 को भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर नए निदेश जारी किए। जैसा कि 8 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया, ये निदेश यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं कि प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसओ मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएसओ सुरक्षित और आघात-सह डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाए रखें, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था संबंधी ढांचे का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को "डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था संबंधी ढांचे" का मसौदा जारी किया, ताकि एसएमएस-आधारित ओटीपी, जो प्राथमिक अतिरिक्त अधिप्रमाणन कारक (एएफए) रहा है, के अतिरिक्त अधिप्रमाणन विकल्पों को बढ़ाया जा सके। 8 फरवरी 2024 को घोषित इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ लेते हुए और भुगतान प्रणाली परिचालकों और उपयोगकर्ताओं को अधिप्रमाणन कारकों के व्यापक विकल्प प्रदान करना है। ढांचे के मसौदे पर टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ 15 सितंबर 2024 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, रिज़र्व बैंक, मुंबई को ईमेल या डाक द्वारा भेजी की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच – निदेश का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित जांच पर निदेशों का मसौदा जारी किया। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की मजबूती बढ़ाने और पहचान की चोरी और ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ छेड़छाड़ के कारण हाल ही में हो रही धोखाधड़ी से निपटने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 फरवरी 2024 को घोषणा की कि एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना और प्रणाली की सुरक्षा और संरक्षा में विश्वास बनाए रखना है। इन निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ 31 अगस्त 2024 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को ईमेल या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. डीएसआईएम

उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापना - भारत केएलईएमएस डेटाबेस

रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई 2024 को अपनी वेबसाइट पर "उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापना- भारत केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवा (एस)] डेटाबेस" पर एक अद्यतन जानकारी को रखा है जिसमें डेटा मैनुअल 2024 और 27 उद्योगों के लिए उत्पादकता संबंधी समय-शृंखला डेटा को शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. विदेशी मुद्रा

फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विनियमन – विनियमावली और निदेश का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2024 को प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए फेमा के अंतर्गत विनियमों और निदेशों के मसौदे जारी किए। पिछले कतिपय वर्षों से, भारतीय रिज़र्व बैंक फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उत्तरोत्तर उदार बना रहा है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, जून 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक ने निर्यात और आयात लेनदेन संबंधी विनियमावली को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित विनियमावली का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उनका उद्देश्य प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा ग्राहकों को तेज़ और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना भी है। मसौदा प्रस्तावों (विनियमावली एवं निदेश) पर टिप्पणियाँ/ फीडबैक, विषय पंक्ति "फेमा के अंतर्गत निर्यात और आयात पर विनियमावली और निदेशों के मसौदे पर फीडबैक" के साथ ईमेल द्वारा 1 सितंबर 2024 तक प्रेषित की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) को विप्रेषण

रिज़र्व बैंक ने 10 जुलाई 2024 को एलआरएस के अंतर्गत आईएफ़एससी को किए जाने वाले विप्रेषण से संबंधित परिपत्र की समीक्षा की। समीक्षा के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के अंतर्गत आईएफ़एससी को किए जाने वाले विप्रेषण में आईएफ़एससी के भीतर वित्तीय सेवाओं या उत्पादों का लाभ उठाना और विदेशी क्षेत्राधिकारों के लिए आईएफ़एससी में एफ़सीए के माध्यम से चालू या पूंजी खाता लेनदेन करना भी शामिल हो सकता है। पहले, एलआरएस के अंतर्गत आईएफ़एससी को किए जाने वाले विप्रेषण आईएफ़एससी प्रतिभूतियों में निवेश (आईएफ़एससी के बाहर भारत में संस्थाओं को छोड़कर) और राजपत्र अधिसूचना संख्या SO 2374(E) (23 मई 2022) में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा शुल्क तक सीमित थे। इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 अगस्त 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई 2024 को कारोबार बंद होने पर संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹7409 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 97.92 प्रतिशत वापस आ गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सूचकांक

वित्तीय समावेशन सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एफ़आई-सूचकांक जारी किया। मार्च 2024 के लिए सूचकांक का मूल्य 64.2 है, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था, जिसमें सभी उप-सूचकांकों में संवृद्धि देखी गई। एफ़आई-सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम के योगदान से है, जो वित्तीय समावेशन की गहनता को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल भुगतान सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई 2024 को मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित किया। मार्च 2024 के लिए सूचकांक सितंबर 2023 के 418.77 के मुकाबले 445.50 पर है। इस अवधि में देश भर में भुगतान निष्पादन और भुगतान अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई सूचकांक सभी मापदंडों पर बढ़ा है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. पर्यवेक्षण

मौद्रिक दंड

रिज़र्व बैंक ने 16 जुलाई 2024 को केवाईसी प्रावधानों के अननुपालन के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (₹41.50 लाख) और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (₹33.40 लाख) पर मौद्रिक दंड लगाया। इसके अतिरिक्त, पूर्वदत्त भुगतान लिखतों और कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन से संबंधित उल्लंघनों के लिए क्रमशः 5 जुलाई 2024 और 16 जुलाई 2024 को ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (₹54.15 लाख) और वीज़ा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड (₹240.75 लाख) को कंपाउंडिंग आदेश जारी किए गए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 18 जुलाई 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में छह भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख हैं:
(i) अर्थव्यवस्था की स्थिति
(ii) महामारी के बाद के साक्ष्य के साथ भारत के लिए ब्याज की आधार दर के अनुमान को अद्यतन करना
(iii) भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति का अनुमान लगाना
(iv) भारत में योजित सकल मूल्य में श्रम संरचना के योगदान को मापना - मानव पूंजी दृष्टिकोण; और
(v) हिमालयी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 29 जुलाई 2024 को वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त (आरसीएफ़) संबंधी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का विषय "भारत की डिजिटल क्रांति" है। रिपोर्ट योगदानकर्ताओं के विचारों को तक्षलिरपिहै, न कि रिज़र्व बैंक के। रिपोर्ट की मुख्य बातें: भारत अपने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, तदपिस्फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र और अनुकूल नीतिगत माहौल के माध्यम से वैश्विक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जिसने स्वयं को सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। देश की डिजिटल उन्नति वित्तीय समावेशन को बढ़ा रही है, राजकोषीय अंतरण को सुविधाजनक बना रही है और सीमापारीय व्यापार और विप्रेषण को बढ़ावा दे रही है। वित्तीय स्थिरता, ग्राहक सुरक्षा और नवाचार को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती बनी हुई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

जुलाई 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विषय
1	दिनांक 12 जुलाई 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	12 जुलाई 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति
3	जून 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
4	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जुलाई 2024
5	जून 2024 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
6	वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी – मार्च) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
7	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जून 2024

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।